रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 190] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 7, 1973/श्रावण 16, 1895
No. 190] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 7, 1973/SRAVANA 16, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATION

New Delhi the 7th August, 1973

G. S. R. 383(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule 2 of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Orissa, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations 1955, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Eighth Amendment Regulations, 1973.

(2) Thay shall come into force with effect from the date of publication in the Gazette of India.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955,—

(*a*) for the heading 'Orissa' and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted, namely:—

"ORISSA"

1. Posts under the State Government	83

Chief Secretary to Government and Development Commissioner	1
Member, Board of Revenue	1
Member, Administrative Tribunal	1
Additional Member, Administrative Tribunal	1
Additional Development Commissioner and Secretary to Government, Planning and Coordination Department	1
Revenue Divisional Commissioner	3
Commissioner Land Reforms	1
Commissioner, Commercial Taxes	1
Commissioner, Land Records and Settlement	1
Transport Commissioner	1
Commissioner-*cum*-Secretary to Government	2
Secretary/Additional Secretary to Government	12
Joint/Deputy Secretary to Government	13
Rehabilitation Commissioner	1
Secretary to Governor	1
Secretary to Chief Minister	1
Secretary, Board of Revenue	1
Magistrate and Collector	13
Additional District Magistrates/Sub-Collector Grade I	12
Settlement Officer	2
Registrar, Cooperative Societies	1
Additional Registrar, Cooperative Societies	1
Director of Tribal and Rural Welfare	1
Director of Community Development and Gram Panchayat	1
Chief Electoral Officer	1
Director of Land Records and Surveys	1
Director of Industries	1
Additional Director Industries	1
Director, Training and Coordination	1
Director of Employment	1
Inspector-General of Registration and Excise Commissioner	1
Labour Commissioner	1
Director of Tourism and Cultural Affairs	1
	83
2. Central Deputation Reserve @ 40 % of 1 above	33*
3. Posts to be filled by Promotion and Selection under Rule 8 of IAS (Recruitment) Rules, 1954 @ 25 % of 1 & 2 above	29
4. Posts to be filled by Direct Recruitment 1 and 2 minus 3 above	87
5. Deputation Reserve	33
6. Leave Reserve @ 5% of 4 above	4
7. Junior posts @ 20·60% of 4 above	18

8. Training Reserve @ 10·59% of 4 above	9
Direct Recruitment posts .	151
Promotion posts .	29
Total Authorised strength .	180

*Includes 16 posts in excess of 20%.

[No.33/13/71-AIS(II)-A]
SARAVAN KUMAR, Jt. Secy.

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 7 अगस्त, 1973

सा० का० नि० 383(अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उप नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उड़ीसा सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियमन) विनियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) आठवां संशोधन विनियम, 1973 कहा जा सकेगा।

(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में,—

(क) "उड़ीसा" शीर्षक और उसके अन्तर्गत उल्लिखित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"उड़ीसा"

1. राज्य सरकार के अधीन पद	83
सरकार के मुख्य सचिव तथा विकास आयुक्त . .	1
सदस्य, राजस्व बोर्ड	1
सदस्य, प्रशासनिक अधिकरण	1
अपर सदस्य, प्रशासनिक अधिकरण . . .	1
अवर विकास आयुक्त तथा सरकार के सचिव, आयोजना तथा समन्वय विभाग	1

राजस्व प्रमण्डल आयुक्त	3
भूमि सुधार आयुक्त	1
वाणिज्यिक कर आयुक्त	1
भू-अभिलेख तथा बन्दोबस्त आयुक्त	1
परिवहन आयुक्त	1
आयुक्त व सरकार के सचिव	2
सरकार के सचिव / अपर सचिव	12
सरकार से संयुक्त । उप सचिव	13
पुनर्वास आयुक्त	1
राज्यपाल के सचिव	1
मुख्य मंत्री के सचिव	1
राजस्व बोर्ड के सचिव	1
मजिस्ट्रेट / कलक्टर	13
उपर जिला मजिस्ट्रेट	
उप कलक्टर ग्रेड	12
बन्दोबस्त अधिकारी	2
सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार	1
सहकारी समितियों का अपर रजिस्टार	1
आदिवासी तथा ग्राम कल्याण निदेशक	1
समुदाय विकास तथा ग्राम पंचायत निदेशक	1
मुख्य निर्वाचन अधिकारी	1
भू अभिलेख तथा सर्वेक्षण निदेशक	1
उद्योग निदेशक	1
उद्योग अपर निदेशक	1
उद्योग अपर निदेशक	1
प्रशिक्षण तथा समन्वय निदेशक	1
रोजगार निदेशक	1
रजिस्ट्रेशन महा-निरीक्षक तथा आवकारी आयुक्त	1
श्रम आयुक्त	1
पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य निदेशक	1
	83

2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपयुक्त 1 के 40 प्रतिशत के हिसाब से	33
3. भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति तथा प्रवरण द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 के 25 प्रतिशत के हिसाब से	29
4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 में 3 घटाकर	87
5. प्रतिनियुक्ति रिजर्व	33†
6. छुट्टी रिजर्व उपर्युक्त 4 के 5 प्रतिशत के हिसाब से	4
7. कनिष्ठ पद उपर्युक्त 4 के 29.60 प्रतिशत के हिसाब से	18
8. प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त 4 के 10·59 प्रतिशत के हिसाब से	9
सीधी भर्ती वाले पद	151
पदोन्नति वाले पद	29
कुल प्राधिकृत संस्था	180

†20 प्रतिशत के अतिरिक्त 16 पद शामिल हैं।

[सं० 33/13/71—आ० आ० से०(II)(क)]

श्रवण कुमार, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973